

Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 28)

कुलदीप वनाम सरपंच ग्राम पंचायत हसनपुर माफी

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज

प्रार्थना पत्र - 212 जा0डी0 संख्या 56 / वर्ष 2022

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तारीख में जारी हुए

आज यह पत्रावली मूल अपील के साथ पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट इस प्रथम दृष्टया वनता है एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के हक में है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 30.05.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि इंतकाल संख्या 911 वाके ग्राम हसनपुर की तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर मौका व रिकार्ड की यथारिथति बचे रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावे? कोई जज हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलवी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलवाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, वाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों।

30/05/22

आज पत्रावली पेश हुई। 31.05.22  
उपरिथत पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक  
02.06.22 को पेश हो।

*[Signature]*

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

02/06/22

आज पत्रावली पेश की गयी मूल वाद के साथ दिनांक 02/06/22 को पेश हो।  
उपरिथत पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 02/06/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

आज पत्रावली पेश की गयी मूल वाद के साथ दिनांक 02/06/22 को पेश हो।  
उपरिथत पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 02/06/22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर)

